न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 123 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. हरखाराम पुत्र मोबताराम के कायम मुकाम :–
   1/1देवाराम पुत्र हरखाराम उम्र 60 वर्ष
   1/2दौलाराम पुत्र हरखाराम उम्र 50 वर्ष
   1/3गंगादेवी पत्नी हरखाराम उम्र 80 वर्ष
2. वीरमाराम पुत्र मोबताराम उम्र 73 वर्ष
3. टीकमाराम पुत्र मोबताराम उम्र 59 वर्ष
4. मूलाराम पुत्र मोबताराम उम्र 70 वर्ष
5. डालूराम पुत्र मोबताराम उम्र 58 वर्ष
6. चुतराराम पुत्र तेजाराम उम्र 40 वर्ष
7. जोगाराम पुत्र तेजाराम उम्र 35 वर्ष
8. हरखू पत्नी स्व. तेजाराम उम्र 60 वर्ष
9. पोकर पुत्र अणदाराम उम्र 55 वर्ष
10. अचला पुत्र अणदाराम उम्र 45 वर्ष
11. टीपू पत्नी स्व. अणदाराम उम्र 75 वर्ष
12. चुतरा पुत्र अणदाराम उम्र 40 वर्ष
13. भूराराम पुत्र मेराजराम उम्र 48 वर्ष
14. पदमाराम पुत्र हरजीराम उम्र 45 वर्ष
15. केसाराम पुत्र हरजी उम्र 32 वर्ष
16. गोमाराम पुत्र हरजी उम्र 40 वर्ष
17. मनाराम पुत्र हरजी उम्र 35 वर्ष
18. रूखमों पत्नी हरजी उम्र 70 वर्ष

   जाति जाट, निवासी मीठीबेरी तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.विरधा पुत्र हरचंद के कायम मुकामः–
1/1सताराम पुत्र विरधा उम्र 56 वर्ष
1/2गंगाराम पुत्र विरधा उम्र 45 वर्ष
1/3गुमनी पत्नी विरधा उम्र 78 वर्ष
2.पूनमा पुत्र हुकमाराम उम्र 56 वर्ष
3.रामा पुत्र हुकमाराम उम्र 56 वर्ष
4.करना पुत्र हुकमाराम उम्र 51 वर्ष
5.रामाराम पुत्र जीयाराम उम्र 56 वर्ष
6.खरथाराम पुत्र हरचंदराम उम्र 56 वर्ष
7.विशना पुत्र अणदाराम उम्र 51 वर्ष
8.वाला पुत्र अणदाराम उम्र 46 वर्ष
9.देवाराम पुत्र मेराजराम उम्र 56 वर्ष
10.हीरा पुत्र मेराजराम उम्र 46 वर्ष
11.सता पुत्र गुमनाराम उम्र 56 वर्ष
12.हीराराम पुत्र गुमनाराम
13.बालोतरा सहाकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा, जरिये मैनेजर
14.श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 153/2011 बअनवान विरधा बनाम हरखा वगैरह मे पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2017 के विरूद्ध पेश।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मेघाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 02 से 08 व 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 22.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण एवं उतरदातागण संख्या 1 से 12 एक ही हिन्दू खानदान से है, जिनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि सरहद मौजा–मीठीबेरी, तहसील गुड़ामालानी में खसरा संख्या 26 रकबा 108.12 बीघा व खसरा संख्या 112 रकबा 249.16 बीघा आये है। उतरदाता संख्या 01 ने अपीलाधीन आराजी में अपना खातेदारी 1/15 हिस्सा होना बता कर विचारण न्यायालय में घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। उतरदाता संख्या 01 स्वयं ने वाद को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य सबूत मौखिक अथवा दस्तावेजी पेश नहीं किया न कोई खातेदारी रेकर्ड प्रदर्शित करवाया, न उसने मजमें में उसने गवाह को पेश किया न मजमें में उपस्थित लोगों द्वारा दी गई जानकारी रेकर्ड पर है और इन सबके अभाव में वादी का दावा साबित नहीं है तथा पत्रावली लोक अदालत शिविर कोर्ट कैम्प गोलिया जेतमाल में पेश होने की तारीख 26.06.2017 निश्चित होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 32 प्रतिवादीगण का सामुहिक तारीख का नोटिस जारी हुआ। 32 प्रतिवादीगण के विरूद्ध 12 व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है,सूचित होने वाले पक्षकारान की वल्दीयत का ज्ञान नहीं हो पाता तथा धनी पत्नी भूरा व वरजू पत्नी जोधा वाद में पक्षकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित नियम के विपरित निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में साक्ष्य व सबूत की प्रक्रिया को अनदेखा कर मजमे आम में उपस्थित लोगों से पूछ कर वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण संख्या 20 से 22 का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आराजी में वादी को 1/15 हिस्सा का व प्रतिवादीगण संख्या 20 से 22 प्रत्येक को 1/27–1/27 हिस्सा का खातेदार घोषित कर अपीलाधीन निर्णय विधि की मंशा के प्रतिकूल पारित किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर अपील रिमाण्ड की जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 से 08 व 11 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर मामला रिमाण्ड किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपति नहीं हैं।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों एवं वाद के विचारण की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालना नहीं किया। वाद का निर्णय मौखिक/अभिलेखीय सबूतों के आधार पर विवाद्यक बिंदुओं पर किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया जाना पाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में निर्णय विवके के आधार पर भी नहीं करना पाया गया है न ही इस संबंध में उन कारणों को अभिलिखित किया गया है के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की स्पष्ट अवहेलना है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 153/2011 बअनवान विरधा बनाम हरखा वगैरह मे पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर विभाजन प्रस्ताव By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करे।

22/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner